राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 27 सितम्बर, 1996

क्रमांक 2487--ज--2-96/18721.---श्री कंवर कुलदीप सिंह चौपड़ा, पुत्र श्री बलवान सिंह, निवासी 129 माडल टाऊन, पानीपत, तहसील पानीपत, जिला करनाल (अब पानीपत) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की द्वारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1940-ज-273/26063, दिनांक 26 अगस्त, 1973 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री कंवर कुलदीप सिंह चौपड़ा की दिनांक 26 अक्तूबर, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जगीर को श्री कंवर कुलदीप सिंह चौपड़ा की विधवा श्रीमति जगदीप कौर के नाम खरीफ, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

(हस्ताक्षर.) . . .,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

कृषि विभाग

दिनांक 12 फरवरी, 1996

संख्या 2787-कृषि-II(1)-96/1908.---हरियाणा कीटनाशी (अपील) नियम, 1986 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 37 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाने का प्रस्ताव करते हैं उक्त अधिनियम की उपधारा (1) की यथापेक्षा अनुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं जिनके इस द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर, या उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार कृषि विभाग द्वारा नियमों के प्रारूप किसी व्यक्ति से के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त की जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा कीटनाशी (अपील) प्रथम संशोधन नियम, 1996 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा कीटनाशी (अपील) नियम, 1986 में, नियम 3 में,—

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अधीन निम्नलिखित को अपील की जा सकती है,—

(i) सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, जहां कोई अपील, हरियाणा राज्य में कीटनाशी निर्माण को अनुज्ञप्ति की स्वीकृति अथवा नवीकरण के लिए अनुज्ञप्ति अधिकारी के रूप में कृषि निदेशक के निर्णय के विरुद्ध हो ;

(ii) कृषि निदेशक, हरियाणा, जहां कोई अपील, उनकी अधिकारिता के भीतर कीटनाशियों के विक्रय, भण्डारण, प्रदर्शन अथवा वितरण की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति अथवा नवीकरण के लिए अनुज्ञप्ति अधिकारी के रूप में उप कृषि निदेशकों के निर्णय के विरुद्ध हो।" ;

(ख) उप नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(4) कोई अपील करने के लिए भुगतान योग्य फीस शीर्ष "0401 फसलपालन–107–कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन पौधा संरक्षण सेवा फीसें/जुर्माने/अनुज्ञप्ति के लिये नवीकरण से प्राप्तियों के अधीन जमा करवाई जाएगी।"

धर्मवीर,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 12th February, 1996

No. 2787-Agri. II(1)-96/1908.—The following draft of rules further to amend the Haryana Insecticides (Appeal) Rules, 1986, which the Governor of Haryana, in consultation with the Central Insecticides Board, proposes to make in exercise of the powers conferred by section 37 of the Insecticides Act, 1968, are hereby published, as required by sub-section (1) thereof, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thrity days of the publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department from any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Insecticides (Appeal) 1st Amendment Rules, 1996.

2. In the Haryana Insecticides (Appeal) Rules, in rule 3,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) An appeal under section 15 of the Act may be filed by the aggrieved person to —

(i) the Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department, where an appeal is against the decision of the Director of Agriculture, Haryana, as Licensing Officer for the grant or renewal of licence to manufacture insecticides in the State of Haryana ;

(ii) the Director of Agriculture, Haryana, where an appeal is against the decision of Deputy Director of Agriculture as Licensing Officer for the grant or renewal of licence to sell, stock, exhibit or distribution of insecticides in their respective jurisdiction."

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The fee payable for preferring an appeal shall be deposited under the head "0401-Crop Husbandry—107—Receipt from Plant Protection Services fees/fines/Renewal for licence under the Insecticides Act, 1968."

DHARAM VIR,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Agriculture Department.

15105 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.